भारतीय ज्ञान धरोहर
विमर्श और परंपरा

सम्पादक
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

भारतीय ज्ञान धरोहर

विमर्श और परम्परा

सम्पादक

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,
अजमेर

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

प्रकाशक :

छवि पब्लिकेशन्स

अजमेर-305001

मो. 9660111549

संस्करण :

प्रथम 2023

ISBN : **978 - 81 - 89435 - 69 - 1**

मूल्य - 400/-

रचना - भारतीय ज्ञान धरोहर : विमर्श और परम्परा

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

18

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और महिला सशक्तिकरण

लता शर्मा

सहायक आचार्य (समाज विज्ञान विभाग)

हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में लगभग तीन दशकों बाद बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। यह नीति शिक्षा के प्रत्येक स्तर—प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा—में सुधार का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से महिला शिक्षा के दृष्टिकोण से यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहने का सामना किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य न केवल शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को सुधारना है, बल्कि इसे समावेशी, समान और संवेदनशील बनाकर महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा की वकालत करती है। नीति के अनुसार, सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुँच मिलनी चाहिए और इसमें विशेष ध्यान लड़कियों पर केंद्रित है, जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा से सबसे अधिक वंचित हैं। नीति ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी स्कूलों में लड़कियों का प्रवेश 100 प्रतिशत हो और उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, छात्रवृत्तियाँ और अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

साथ ही, नीति ने शिक्षा को लिंग-संवेदनशील बनाने का लक्ष्य रखा है। यह मान्यता है कि लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा महिलाओं की शिक्षा में बाधक हैं। इसलिए नीति में सुरक्षित और स्वागत योग्य शैक्षणिक वातावरण बनाने, महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और शिक्षक प्रशिक्षण में लैंगिक समानता के मुद्दों को शामिल करने पर बल दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लड़कियाँ बिना भय और भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पाठ्यक्रम में नवाचार और महिला सशक्तिकरण के तत्वों को शामिल करने का भी प्रयास किया है। इसमें स्वास्थ्य और पोषण, महिला अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। नीति का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल का विकास करना है, ताकि वे समाज में सक्रिय और सशक्त नागरिक बन सकें।

महिलाओं के आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी काम करती है। नीति के अनुसार, STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में लड़कियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम और प्रोत्साहन बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में उच्च शिक्षा की भूमिका को भी नीति ने महत्व दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, महिलाओं को शोध, नवाचार और नेतृत्व गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में महिला शिक्षकों और प्रशासकों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के निर्णय प्रक्रियाओं में अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को शिक्षा से जोड़कर देखा गया है। नीति महिलाओं को जागरूक और सशक्त नागरिक बनाने का प्रयास करती है। महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करना नीति का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर महिलाओं को समाज में समान अवसर दिलाना भी इसका लक्ष्य है।

आर्थिक दृष्टि से नीति महिलाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम करती है। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक दृष्टि से यह नीति बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक अवरोधों के खिलाफ जागरूकता फैलाती है और महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करती है।

महिला शिक्षा, समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह नीति केवल शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार नहीं करती, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में किस दिशा में सोच रही है और आने वाले समय में कौन-कौन से नवीन प्रावधान लागू किए जाने वाले हैं। नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, समान और संवेदनशील बनाकर समाज में न्याय और विकास को बढ़ावा देना है।

नीति स्वीकार करती है कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक असमानताएँ आज भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, महिला और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों, असहाय बच्चों और बाल तस्करी के शिकार बच्चों का नामांकन कम है। नीति इस स्थिति को गंभीरता से देखती है और समान शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समावेशी और लिंग-संवेदनशील शिक्षा पर बल देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक लगातार शिक्षा प्राप्त हो। नीति में सुरक्षित और स्वागत योग्य शैक्षणिक वातावरण, महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और शिक्षक प्रशिक्षण में लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का प्रावधान है।

पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, पोषण, महिला अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को शामिल कर महिलाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए भी नीति में सुझाव दिए गए हैं।

नीति का समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शिक्षा हर किसी के लिए उपलब्ध हो और किसी भी सामाजिक या आर्थिक बाधा के कारण महिलाएँ वंचित न रहें। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

यूडीआईएसई 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के हैं, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत घटकर 17.3 प्रतिशत हो जाता है। नामांकन में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए और भी गंभीर है। इन समूहों में महिला छात्रों के नामांकन में गिरावट अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह गिरावट

और भी बढ़ जाती है। इस स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिला शिक्षा के विकास पर विशेष बल देती है।

नीति के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक महिला शिक्षा को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य और केंद्र दोनों को शिक्षा व्यवस्था में अधिकार प्राप्त हैं। इसका मतलब यह भी है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को यथावत् लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं और किसी भी टकराव की स्थिति में दोनों पक्षों को आम सहमति से समाधान निकालने का सुझाव दिया गया है।

महिला शिक्षा के विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले पूर्व के आयोगों और नीतियों द्वारा दी गई सिफारिशों और उनके प्रभावों को देखें। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना ने सबसे अधिक लाभ पिछड़े और सुविधा वंचित समूहों को दिया, जिसमें महिलाएँ भी प्रमुख हैं। महिला शिक्षा की महत्ता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे महिलाएं समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षित महिला केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी और समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसी कारण से माता को बालक का पहला शिक्षक माना गया है।

महिला शिक्षा के महत्व पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में भी बल दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर सामान्य शिक्षा केवल पुरुषों या महिलाओं में से किसी एक के लिए ही संभव हो, तो इसे महिलाओं के लिए सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्रभावित करती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के विचार भी इसी दिशा में हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक विशेष रूप से महिलाओं को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। संस्कृत साहित्य में भी कहा गया है कि 'नास्ति विद्या समं चक्षु', अर्थात् शिक्षा मानव के नेत्र के समान है।

इतिहास में यदि महिला शिक्षा के दृष्टिकोण को देखें तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। इसके बाद सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के चलते महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्तमान समय तक भारत सरकार ने महिला

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ लागू कीं, जैसे निःशुल्क पुस्तकें, वेशभूषा, छात्रवृत्ति और दोपहर का भोजन। इन सभी योजनाओं ने महिला शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय समाज में महिला शिक्षा का विकास धीरे-धीरे हुआ, जिसमें कई ऐतिहासिक और सामाजिक बदलावों का योगदान रहा। वर्ष 1854 में 'वुड घोषणा पत्र' के माध्यम से सर्वप्रथम महिला शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और शिक्षा का प्रसार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिला शिक्षा की दिशा में पहला औपचारिक कदम उठाया। इसके पश्चात सन् 1882 में हंटर कमीशन ने तत्कालीन महिला शिक्षा की दयनीय दशा का विश्लेषण करते हुए यह सिफारिश की कि महिला शिक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है और इसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।

उसी समय डॉ. मुखर्जी ने यह कहा कि जनता और सरकार के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा का विकास तेजी से हुआ और 1902 तक सभी प्रकार के बालिका विद्यालयों की संख्या 6107 तक पहुंच गई। 1921 से 1947 तक के काल में महिला शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं में जागरूकता और स्वाभिमान उत्पन्न कर इस प्रगति को और बढ़ावा दिया। 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना हुई और 1927 में आयोजित अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन ने शैक्षिक अवसरों की समानता की मांग जोर-शोर से उठाई। 1929 में शारदा अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाकर महिला शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इन प्रयासों और सामाजिक सुधारों के फलस्वरूप 1947 तक महिला शिक्षा संबंधी संस्थाओं की संख्या बढ़कर 8196 हो गई और उनमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या लगभग चालीस लाख तक पहुंच गई।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहले जिन अधिकारों से महिलाएं वंचित थीं, उन्हें पुनः प्राप्त हुआ और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी महिला शिक्षा को लेकर व्यापक बदलाव हुआ। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता प्रदान करते हुए यह स्पष्ट किया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में महिला जागरण का युग प्रारंभ हुआ।

1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद, हंसा मेहता समिति और कोठारी आयोग

ने महिला शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन प्रयासों और सुझावों के बावजूद महिला शिक्षा के विकास मार्ग में कई समस्याएँ बनी रहीं, जैसे शैक्षिक अवसरों की असमानता, लड़कियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, पाठ्यक्रम और प्रशासन की खामियाँ, विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की कमी आदि। ये समस्याएँ लंबे समय तक महिला शिक्षा के विकास में बाधक रही हैं।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षा के सुधार और सशक्तिकरण के लिए अनेक नवीन सुझाव और प्रावधान सुझाए गए हैं। नीति का उद्देश्य न केवल महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। इस नीति के माध्यम से महिला शिक्षा को समावेशी, समान और संवेदनशील बनाकर भविष्य में इसके विकास की दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 में महिला शिक्षा हेतु प्रावधान

मानव के सर्वांगीण विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति के पर्याप्त अवसर मिलें। यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के समग्र निर्माण और उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसी दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने न केवल महिलाओं की शिक्षा, बल्कि समाज के सभी सुविधा वंचित वर्गों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। नीति के मुख्य लक्ष्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय के बच्चों की भागीदारी बढ़ाना और अधिगम परिणामों में उनके अंतराल को कम करना शामिल है। इसके लिए विशेष तंत्र और सुधारात्मक कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया है ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति में कई विशेष प्रावधान सुझाए गए हैं। इसमें स्कूली शिक्षा में महिला छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के उपाय शामिल हैं, जैसे साइकिल प्रदान करना, पैदल चलने वाले समूह का आयोजन और विद्यालय तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना। ये उपाय न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि माता-पिता के विश्वास को बढ़ाकर महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, विद्यालयों में उचित बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षित शिक्षक, तकनीकी संसाधनों का उपयोग और गरीब क्षेत्रों में काउंसलर या सामाजिक

कार्यकर्ताओं की तैनाती जैसी पहलें शिक्षा के परिणाम सुधारने में प्रभावी साबित हो सकती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सहभागिता को भी महत्व देती है। नीति के अनुसार, अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए और एसईडीजी समूह की बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी, जिससे राज्य सरकारें लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कर सकें।

नीति बालिकाओं की शिक्षा को उनके घर के निकट सुनिश्चित करने का भी सुझाव देती है। यदि निकटतम विद्यालय उपलब्ध न हो तो छात्रावास की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है, जिसमें सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हों। विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की बालिकाओं के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए वंचित क्षेत्रों में अधिक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने की योजना है।

महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु नीति अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है, जैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों में मेधावी छात्राओं के लिए विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, शुल्क माफी और छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसके द्वारा उन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रवेश आसान बनाने और शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महिला शिक्षा के विकास और सुधार को प्राथमिकता देती है। नीति में यह मान्यता व्यक्त की गई है कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज के समग्र निर्माण और उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से, छात्र–छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसरों और योजनाओं में भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने के लिए नीति ने कुछ सरलीकरण और समेकन के उपाय सुझाए हैं। इनमें प्रमुख है एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से सभी छात्रवृत्ति योजनाओं और शिक्षा संबंधित अवसरों के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत 'सिंगल विंडो प्रणाली' के माध्यम से विद्यार्थियों का आवेदन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सभी छात्रों तक योजनाओं और अवसरों की पहुँच सुनिश्चित हो सके।

नीति ने बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिक स्तर से सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया है। इसके लिए स्कूल परिसर आधारित समूह संरचना की स्थापना करने की सिफारिश की गई है, जिसमें एक माध्यमिक विद्यालय के आसपास 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनवाड़ी केंद्र और निचले ग्रेड के अन्य सभी स्कूल शामिल होंगे। इस संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं और अन्य बच्चों को स्कूल तक पहुँचने और शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले, तथा शिक्षा में निरंतरता बनी रहे।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य और जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे बाल भवन स्थापित करें, जहाँ हर आयु के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जाकर कला, खेल और कैरियर संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकें। यह पहल बच्चों में सर्वांगीण विकास और सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रतिभा के विकास में सहायक होगी। नीति स्पष्ट करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुँच, सहभागिता और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा।

उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य महिला शिक्षा के विकास और सुधार को सशक्त बनाना है। नीति केवल बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, सुरक्षा, सहभागिता और शिक्षा के अवसरों को सुनिश्चित करने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

✤✤✤